

Hazardous / Bio-Medical Waste Authorisation Application

दस्तावेज प्रकार : लाइसेंस / वैधानिक फाइलिंग · तैयार किया गया 15 Oct 2026

यह गाइड बताती है कि यह टूल क्या बनाता है, उसका उपयोग कैसे करें, और किन बातों का ध्यान रखें। टूल का वास्तविक आउटपुट (ड्राफ्ट/रिपोर्ट) टूल पेज पर बनता है।

पृष्ठभूमि

खतरनाक अपशिष्ट (Hazardous Waste) या जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (Bio-Medical Waste) के हैंडलिंग हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB) से प्राधिकरण अनिवार्य है। यह टूल अपशिष्ट-सूची व श्रेणियाँ, भंडारण व निपटान व्यवस्था, अधिकृत निपटान सुविधा (TSDF या CBWTF) से टाई-अप, और फॉर्म तैयार करता है।

इस टूल और आउटपुट का उद्देश्य

हैज़र्डस या बायो-मेडिकल अपशिष्ट हेतु SPCB प्राधिकरण आवेदन — अपशिष्ट-सूची व निपटान-टाई-अप सहित — तैयार करना।

आउटपुट का उपयोग कैसे करें

अपशिष्ट-सूची, श्रेणीकरण और निपटान-टाई-अप का उपयोग खतरनाक व अन्य अपशिष्ट नियम या जैव-चिकित्सा अपशिष्ट नियम के अंतर्गत SPCB प्राधिकरण आवेदन दाखिल करने, और प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित रिटर्न व manifest बनाए रखने के लिए करें।

यह किसे दिया जाता है

प्राधिकरण देने वाला राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB)/प्रदूषण नियंत्रण समिति; और जिससे टाई-अप हो वह अधिकृत निपटान सुविधा (TSDF या साझा जैव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा/CBWTF)।

कैसे जमा करें / दाखिल करें

SPCB/CPCB पोर्टल पर अपशिष्ट-सूची व श्रेणियाँ, भंडारण व निपटान व्यवस्था, CTO/consent व सुविधा-टाई-अप सहित ऑनलाइन आवेदन करें; SPCB जाँच/निरीक्षण के बाद प्राधिकरण देता है।

शुल्क और खर्च

आवेदन शुल्क SPCB निर्धारित, श्रेणी व मात्रा पर भिन्न; निपटान सुविधा अपना प्रति-टन/प्रति-किया शुल्क लेती, और सलाहकार शुल्क लागू हो सकता।

इसकी जाँच किससे कराएँ

पर्यावरण सलाहकार — अपशिष्ट सही श्रेणीबद्ध करने, भंडारण व निपटान व्यवस्था की पुष्टि, और SPCB आवेदन व रिटर्न तैयार करने के लिए।

महत्वपूर्ण सावधानियाँ

वैध प्राधिकरण के बिना खतरनाक या जैव-चिकित्सा अपशिष्ट हैंडल करना पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के तहत अपराध है; प्राधिकरण श्रेणियों, मात्रा व वैध consent (CTO) और निपटान-टाई-अप से बाँधा। आवेदन से पहले वर्तमान SPCB आवश्यकता व नियम सत्यापित करें।

साथ के दस्तावेज

इस टूल के लिए पोर्टल पर संबंधित दस्तावेज सूचीबद्ध नहीं हैं।

यह एआई-सहायित मार्गदर्शन है। किसी भी बाध्यकारी निर्णय से पहले योग्य पेशेवर से पुष्टि करें। शुल्क, प्राधिकरण और प्रक्रियाएँ राज्य और समय के अनुसार बदलती हैं — अपने राज्य के प्राधिकरण से सत्यापित करें।

